सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 16, मंगलवार, *शाके* 1945-जून 06, 2023 *Jyaistha 16, Tuesday , Saka 1945- June 06, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जून 05, 2023

जी.एस.आर. 34 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष **शासन सचिवालय अनुभाग** के उप-शीर्ष **प्रकीर्ण शाखा** के अधीन,-

(i) स्तंभ संख्याक 6 और 7 की विद्यमान प्रविष्टियों के सामने क्रम संख्याक 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:-

"

प्रूफरीडर	स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।

"

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:-

"

2.	प्रूफरीडर	100%	-	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा या	-	-	-

				भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से डिग्री, साथ में सरकारी मुद्रणालय या किसी प्रतिष्ठित मुद्रणालय में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रूफ रीडिंग का 3 वर्ष का अनुभव; या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी, साथ में सरकारी मुद्रणालय या किसी प्रतिष्ठित मुद्रणालय में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रूफ रीडिंग का 7 वर्ष का अनुभव।			

”

[सं.एफ.2(2)डीओपी/ए-II/97 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
रामनिवास मेहता,
संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.II
NOTIFICATION
Jaipur, June 05, 2023

G.S.R. 34 :- In exercise of the powers conferred by the proviso to Ariticle 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2001, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette .

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2001, under the sub-head Miscellaneous Wing of head GOVERNMENT SECRETRIATE SECTION ,-

(i) the existing entries of column number 6 and 7 against serial number 1 shall be substituted by the following, namely :-

"

Proof Reader	5 years' experience on the post mentioned in column 6

"

(ii) the existing serial number 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely :-

"

2.	Proof Reader	100%	-	Diploma in Printing Technology of a recognised Institute. OR Degree from a University established by law in India with 3 years' experience of proof reading both in English and Hindi in Government Press or in a Press of repute. OR Secondary from a recognised Board with 7 years' experience of proof reading both in English and Hindi in Government Press or in a Press of repute.	-	-	-

"

[No.F.2(2)DOP/A-II/97 Pt.]
By Order and in the name of the Governor,
(Ram Niwas Mehta)
Joint Secretary to the Government

Government Central Press, Jaipur.